न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 24/2019

दिनांक–19.11.2019

सोहन लाल उर्फ सोनाराम पुत्र कालूराम जाति जागिड़ निवासी हनुमान जी की ढाणी तन बुगाल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अभि.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 04.12.2019

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हनुमान जी की ढाणी तन बुगाला का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला में स्थित खाता संख्या नया 184 में स्थित खसरा नम्बर 173, 174 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4900 हेक्टर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम सोनाराम दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है। खाता संख्या नया 184 में स्थित खसरा नम्बर 173, 174 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4900 हैक्टर में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम सोहन लाल दर्ज होना चाहिए था, जबकि उक्त खाते के राजस्व रिकार्ड में सोनाराम दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है। सही नाम सोहन लाल है, जो कि उक्त खाता दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी के नाम उनके सम्पूर्ण दस्तावेज आधारा कार्ड, मतदाता पहचाना पत्र, बैंक खाता, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड में सोहन लाल दर्ज है, तथा सही नाम सोहन लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी का नाम उक्त खाते में सोनाराम गलत दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होने के कारण प्रार्थी ना तो अपनी भूमि पर लोन ले सकता है, न ही किसान समृधी योजना का लाभ ले सकता है, व न ही अन्य किसी प्रकार के सरकारी लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए सही नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी जब ग्राम हुनमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की उपरोक्त खाता संख्या नया 184 की भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हल्का के पास गया, तो राजस्व रिकार्ड देखकर बताया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवारी हल्का बुगाला में प्रार्थी की भूमि स्थित है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमानजी को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूमि धारका होने के कारणा आवश्यक पक्षकार व दुरूस्ती सही नाम करवाने हेतु पक्षकार बनाया गया है। अन्य सहकाश्तकार के विरूद्ध प्रार्थी ने कोई अनुतोष नही चाहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया है कि ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला के भूमि खाता संख्या नया 184 में स्थित खसरा नम्बर 173, 174 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4900 हैकटर के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सोनाराम के स्थान पर सोहन लाल पुत्र श्री कालूराम सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जावे, तथा अनावेदक दुरूस्ती हेतु आदेशित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है तथा प्रार्थी के का ग्राम हनुमान जी कढाणी कू राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 184 में सोनाराम पुत्र कालूराम जाति जागिड़ साकिन देह दर्ज है। प्रार्थी का नाम भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 270126783703, राजस्थान सरकार भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र राशि कार्ड आदि में सोहनलाल पुत्र कालूरामत के नाम बने हुये है। अतः प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कालूराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र कालूराम जाति जागिड किया जाना उचित है। अतः राज. पैरोकार की सहमति एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से प्रार्थी का सोहनलाल पुत्र कालूराम जाति जागिड़ ही सही नाम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला में स्थित खाता संख्या नया 184 में स्थित खसरा नम्बर 173, 174 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4900 हैक्टर में प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कालूराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र कालूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है, तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.24 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: